



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102024-257919
CG-DL-E-15102024-257919

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4147]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 15, 2024/आश्विन 23, 1946

No. 4147]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 2024/ASVINA 23, 1946

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4511(अ).—केन्द्रीय सरकार, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि नागरिकता नियम, 2009 के नियम 40 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन इसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां, गोवा राज्य के निवासियों द्वारा अन्य देश की नागरिकता के अर्जन के मुद्दे में जांच करने और उक्त नियमों की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को समुचित सिफारिशें करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अर्थात्:-

- (क) आवेदन और आक्षेप, जिला कलेक्टर द्वारा सम्यक प्रकाशन के पश्चात आमंत्रित किये जायेंगे ;
- (ख) जाँच इस अधिनियम और नागरिकता नियम, 2009 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार ऋजु और पारदर्शी रीति से संचालित की जाएगी ;
- (ग) जांच के पश्चात जिला कलेक्टर, प्रत्येक मामले का ब्यौरा देते हुए राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करेगा ।

जिला कलेक्टर, उत्तरी गोवा और जिला कलेक्टर, दक्षिणी गोवा द्वारा प्रयोक्तव्य होगी।

2. यह आदेश, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

[फा. सं. 26030/34/2013-आई.सी.-I]

प्रशांत लोखंडे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 14th October, 2024

S.O. 4511(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under sub-section (2) of section 9 of the Act read with rule 40 of the Citizenship Rules, 2009, shall be exercisable by the District Collector, North Goa and District Collector, South Goa for the purpose of inquiring into the issue of acquisition of citizenship of another country by residents of the State of Goa and make appropriate recommendations to the Central Government through the State Government in accordance with the procedure specified in Schedule III of the said rules, subject to the following conditions, namely :-

- (a) the application and objection shall be invited after due publicity by the District Collector ;
 - (b) the inquiry shall be conducted in fair and transparent manner in accordance with the provisions contained in the Act and the Citizenship Rules, 2009;
 - (c) after inquiry, the District Collector shall make recommendations to the Central Government through the State Government giving details of each case.
2. This Order shall remain in force for a period of two years from the date of publication of this notification.

[F. No. 26030/34/2013-IC-I]

PRASHANT LOKHANDE, Jt. Secy.